(114)

दिनाँक 15/07/2021, को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आनलाईन एवं मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन) विनियम, 2020 के आलोक में विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र स्थापना हेतु मानक मापदण्ड नियमावली, 2016 में संशोधन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के आदेश संख्या UOU/RSD/2021/883, दिनाँक 08/03/2021, के क्रम में गठित समिति की दिनाँक 19/04/2021, को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों पर विचार किये जाने हेतु समिति के आन्तरिक सदस्यों की बैठक दिनाँक 15/07/2021 को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सदस्य प्रोफेसर पी0 एस0 बिष्ट की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने प्रतिभाग किया–

01–प्रोफेसर पी0 एस0 बिष्ट	(कार्यपरिषद सदस्य, उ0मु0वि0वि0)	अध्यक्ष
02–प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे–	(निदेशक, आर0एस0डी0)	सदस्य
03–प्रोफेसर ए0 के0 नवीन	(विधि विद्याशाखा)	सदस्य
04–प्रोफेसर एच0 एस0 नयाल –	(कुलसचिव)	सदस्य सचिव
05–विमल कुमार मिश्रा	(उपकुलसचिव)	सदस्य
06–श्री अनिल कण्डारी	(सहायक क्षेत्रीय निदेशक, देहरादून)	सदस्य
07–श्री फिरोज खान	(पटल सहायक, आर0एस0डी0)	सदस्य

बैठक के आरम्भ में सदस्य सचिव/कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें, प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे से प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप से सदस्यों को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे द्वारा 17 बिन्दुओं पर केन्द्रित अध्ययन केन्द्र/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र मानक मापदण्ड नियमावली, 2021 के प्रस्तावित प्रारूप को विस्तापूर्वक प्रस्तुत किया गया। उन्होने अवगत कराया कि समिति के बाह्य सदस्यों से प्राप्त अनेक सुझावों को इस प्रारूप में यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है। विशेषकर डॉ0 संदीप नेगी, (क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून) के सुझाव बिन्दु संख्या 5.1, 5.3, 6.5, श्री संदीप चौधरी (एच0ई0सी0, पी0जी0 कालेज, हरिद्वार) के सुझाव संख्या 5.1 एवं डॉ0 जे0 एस0 रावत (समन्वयक, राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत) के सुझाव संख्या 04 व 05 को यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रस्तुत प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई और समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत अनुशंसा की गई–

01–सदस्यों द्वारा पहले से चली आ रही भुगतान प्रक्रिया कुल पाठ्यक्रम शुल्क का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने और अध्ययन केन्द्रों/शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा उक्त निर्गत धनराशि का समायोजन/उपभोग विवरण उपलब्ध न कराये जाने या फिर कम व्यय किये जाने से उत्पन्न स्थितियों का संज्ञान लिया। सदस्यों का मत था कि समायोजन में उत्पन्न हो रही विसंगतियो को ध्यान में रखते हुए प्रथम किस्त के रूप में अध्ययन केन्द्र/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र से प्राप्त कुल पाठ्यक्रम शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान किया जाना सर्वथा उचित है। अतः सर्वसम्मति से प्रस्तावित नियमावली में इसे सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई।

(113)

02–समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी अनुशंसा की गई कि अध्ययन केन्द्रों/शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों को दी जाने वाली प्रथम किस्त (कुल पाठ्यक्रम शुल्क का 10 प्रतिशत) का समायोजन/उपभोग प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाय।

03–प्रस्तावित नियमावली के बिन्दु संख्या 17.7 की **तालिका ए** के मद संख्या 3 में उल्लिखित वाहन सुविधा हेतु कन्वेन्स व्यय को परामर्श सत्र मानदेय में सम्मिलित करने अथवा टिप्पणी में उल्लिखित बिन्दु संख्या 7 के अनुरूप दिये जाने (उपरोक्त में से कोई एक स्थिति) की अनुशंसा की गई।

04–अपरिहार्य स्थिति में यदि सत्रीय कार्य ऑफलाइन पद्धति से मूल्यांकित किया जाता है तो पूर्व की भाँति **तालिका ए** के कॉलम 4 पर अंकित दरें देय होगीं।

05–अध्ययन केन्द्रों/शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए तालिका बी0 के क्रम संख्या 04 में कॉलम H, I, एंव J में एक एक अतिरिक्त तृतीय श्रेणी (कार्यालय सहायक) की सुविधा दिये जाने की अनुशंसा की गई। समिति द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि मानदेय का निर्धारण विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन सत्र की पंजीकरण संख्या को आधार बनाकर किया जाय। यदि कोई अध्ययन केन्द्र शीतकालीन सत्र से आरम्भ हो रहा हो या ग्रीष्मकालीन पंजीकरण में पिछले सत्र की तुलना में पंजीकरण संख्या कम हो गई हो, तो उक्त परिस्थिति में ऐसे सत्र में मानदेय का आगणन उक्त अवधि के लिए मैनुअल पद्धति से किया जाय।

06–उपरिव्यय (ओवरहेड चार्जेज) के मद में अध्ययन केन्द्रों/शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों को प्राप्त होने वाले पाठ्यक्रम शुल्क का 5 प्रतिशत दिये जाने की अनुशंसा की गई। उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या न्यूनतम है और अध्ययन केन्द्र/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के संचालन से विश्वविद्यालय को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड रहा है उक्त उपरिव्यय अनुमन्य नही होगा।

07–नियमावली की भुगतान **तालिका ए** के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में प्रत्येक परामर्श सत्र की अवधि न्यूनतम 2 घण्टे निर्धारित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

08– बैठक में उपस्थित सदस्य श्री विमल कुमार मिश्र द्वारा कुछ अध्ययन केन्द्रों/शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की कुल समायोजित धनराशि, विश्वविद्यालय को प्राप्त कुल पाठ्यक्रम शुल्क से अधिक होने की स्थिति में भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने पर विचार व्यक्त किया गया। समिति के अन्य सदस्यों द्वारा नवीन भुगतान प्रक्रिया में मदवार दरों के निर्धारण के आलोक में उक्त सुझाव पर असहमति व्यक्त की गई।

09–गठित आन्तरिक सदस्यों की समिति के सुझावों को सम्मिलित करते हुए नियमावली के ड्राफ्ट में यथोचित संशोधन कर समिति की आगामी बैठक शीघ्र आहूत किये जाने की अनुशंसा की गई।

अन्त में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

20/7/2021

सदस्य सचिव/कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

दिनाँक– 15/07/2021